24 जुलाई, 2020 सरकारी आदेश 2020-49

सरकारी आदेश 2020-49 राज्य के संयुक्त विश्लेषण केंद्र की स्थापना एवं अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा मुख्य संसाधनों के संरक्षण की इसकी प्रतिबद्धता

जबिक, स्थानीय, राज्य, संघीय अभिकरणों और निजी साझेदारों के बीच अति महत्वपूर्ण सूचनाओं का समय से आदान-प्रदान मातृभूमि की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है; और,

जबिक, सायबर ख़तरे इलिनॉय के नागरिकों के लिए व्यक्तिगत, पेशेवर, और वित्तीय जोख़िम उत्पन्न करते हैं और राज्य की सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था को ख़तरे में डालते हैं; और,

जबिक, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और मुख्य संसाधन क्षेत्र जटिल प्रणालियों, जिनमें जनोपयोगी जीवनरेखाएं, स्वास्थ्य देखभाल, दूरसंचार, परिवहन, वित्तीय सेवाएं, विनिर्माण, शिक्षा, शोध एवं सार्वजनिक सुरक्षा शामिल हैं, के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करते हैं; और,

जबिक, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और मुख्य संसाधनों का संरक्षण किसी भी एक संस्था या इकाई की पहुंच से बाहर है और इसे एक अग्रसक्रिय पद्धति की आवश्यकता होती है; और,

जबिक, अति-महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और मुख्य संसाधनों के हितधारकों के प्राधिकारों, भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की विविधता के चलते एक ऐसी परस्पर-सहयोगी सार्वजनिक-निजी साझेदारी की आवश्यकता है जो एकजुट प्रयास को बढ़ावा देती हो; और,

जबिक, 2004 के आसूचना सुधार एवं आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (इंटेलिजेंस रिफ़ॉर्म एंड टेररिज़्म प्रिवेंशन एक्ट ऑफ़ 2004) में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) ने यह निदेश दिया था कि संघीय सरकार के भीतर, और संघीय, राज्य, स्थानीय, एवं निजी-क्षेत्र की संस्थाओं/इकाइयों के बीच, एक सूचना सहभाजन परिवेश (इन्फ़ॉर्मेशन शेयरिंग एन्वायरन्मेन्ट) की स्थापना की जाए जिससे मातृभूमि की सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं, आतंकवाद संबंधी सूचनाओं और आतंकवाद से संबंधित विधि प्रवर्तन सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान किया जा सके; और,

जबिक, 16 नवंबर, 2006 को, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने, राष्ट्रीय आसूचना निदेशक के कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ द डायरेक्टर ऑफ़ नेशनल इंटेलिजेंस) के माध्यम से, व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) के समक्ष एक सूचना सहभाजन परिवेश (इन्फ़ॉर्मेशन शेयरिंग एन्वायरन्मेन्ट) की रचना करने की एक योजना प्रस्तुत की थी, जो आंशिक रूप से, राज्य एवं प्रमुख शहरी क्षेत्र संलयन केंद्रों के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना की मांग करती है; और,

जबिक, इलिनॉय सैन्य कार्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिटरी अफ़ेयर्स), जो मातृभूमि सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्यॉरिटी) द्वारा प्रायोजित और राष्ट्रीय रक्षक ब्यूरो (नेशनल गार्ड ब्यूरो) द्वारा समर्थित है, एक ऐसे तंल के रूप में प्रचालन कर सकता है जिसके लिए राज्य के हितधारक अपनी साझेदारियों को आगे बढ़ा सकते हैं, समन्वित सूचना सहभाजन को सुगम बना सकते हैं और परस्पर-निर्भर बुनियादी ढांचा संरक्षण के लिए नियोजन और तत्परता को सक्षम बना सकते हैं, और जिसके प्रयासों को अत्यंत महत्वपूर्ण संघीय मातृभूमि सुरक्षा प्रतिक्रिया रणनीति में एकीकृत किया जाएगा; और,

जबिक, इलिनॉय राज्य के लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए आपदाओं, जिनमें प्रौद्योगिकीय कारणों से उत्पन्न आपदाएं शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, हेतु तैयारी करना और, यदि संभव हो तो, उनकी रोकथाम करना, इलिनॉय राज्य की नीति है; और,

जबिक, राज्य की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के संरक्षण हेतु; राज्य सरकार के लिए यह उपयुक्त और आवश्यक है कि वह सरकार, निजी-क्षेल, सेना, और शोध एवं अकादमिक हितधारकों को संलग्न करते हुए इलिनॉय की सायबरसुरक्षा में वर्धन करने का एक संयुक्त प्रयास स्थापित करे;

अतः, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझे दिए गए कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नवत आदेश देता हूं:

I. इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र की स्थापना

एक इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र (इलिनॉय जॉइंट एनालिसिस सेंटर, IL-JAC) स्थापित किया जाएगा। IL-JAC का गठन एवं प्रचालन राज्य एवं संघीय कानून द्वारा यथा उपबंधित के अनुसार किया जाएगा। 32 CFR उप-भाग A में संघीय सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अंतर्गत, IL-JAC को एक संवेदनशील, अनुभागों में विभक्त सूचना इकाई (सेन्सिटिव, कम्पार्टमेन्टलाइज़्ड इन्फ़ॉर्मेशन फ़ेसिलिटी, SCIF) में स्थित किया जाएगा, ताकि IL-JAC इलिनॉय राज्य से संबंधित वर्गीकृत ख़तरा सूचनाओं तक पहुंच सके और अपने नागरिकों के समक्ष मौजूद ख़तरों का पूर्वानुमान लगाने, उनकी रोकथाम करने, और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध सूचनाएं प्राप्त कर सके।

A. इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का ध्येय

इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का ध्येय समयबद्ध ढंग से और हमारे नागरिकों के निजता अधिकारों के साथ सुसंगत ढंग से, सायबर विश्लेषण और सूचनाएं एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और जनता एवं निजी हितधारकों के बीच उन्हें प्रसारित करने के लिए बनाया गया एक बहुविषयक, सूचना सहभाजन नेटवर्क प्रदान करके इलिनॉय के लोगों और संपत्ति का संरक्षण करना है।

B. पर्यवेक्षण मंडल (ओवरसाइट बोर्ड) द्वारा इलिनॉय संयुक्त विश्लेषण केंद्र का अभिशासन

IL-JAC, पर्यवेक्षण मंडल (ओवरसाइट बोर्ड) ("मंडल") द्वारा अभिशासित होता है। उक्त मंडल का गठन इलिनॉय राज्य मातृभूमि सुरक्षा सलाहकार (होमलैंड सिक्यॉरिटी एडवाइज़र), इलिनॉय के एडजुटेन्ट जनरल (द एडजुटेन्ट जनरल, TAG), और इलिनॉय राज्य पुलिस के निदेशक को मिलाकर किया जाता है। मातृभूमि सुरक्षा सलाहकार (होमलैंड सिक्यॉरिटी एडवाइज़र) मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष शामिल है, के पास मंडल के समक्ष लाए गए सभी मामलों पर समान मताधिकार होता है। मंडल IL-JAC के प्रचालन से संबंधित नीतियों, कार्यविधियों, नियमों, और विनियमों को अंगीकार करेगा।

II. व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)

इस कार्यकारी आदेश में मौजूद किसी भी बात का अर्थ किसी भी संघीय या राज्य कानून या विनियम के उल्लंघन के रूप में नहीं निकाला जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में मौजूद कोई भी बात किसी भी राज्य अभिकरण की मौजूदा सांविधिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी और उसका अर्थ किसी भी राज्य अभिकरण के पुनः समनुदेशन या पुनर्गठन के रूप में नहीं निकाला जाएगा।

III. पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है।

IV. विच्छेदनीयता खण्ड

यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।

V. प्रभावी होने की तारीख

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।